न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 984/2024

अनवान : –

1. विध्या देवी पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. संतोष पांडिया पत्नी मनीराम जाति जाट ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा तहसील भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 27/3/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 113/113 के प0न0 298/4321 मु0न0 44 के किला न0 1/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 1/2 की 0.2280 हैक्ट, 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 2/2 की 0.2280 हैक्ट, 3/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 3/2 की 0.2280 हैक्ट, 4/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 4/2 की 0.2270 हैक्ट, 5/1 की 0.0510 हैक्ट गै0मु0 खाला, 5/2 की 0.2020 हैक्ट कुल किता 10 की 0.1520 हैक्ट गै0मु0 खाला, 1.1130 हैक्ट नहरी प0न0 299/432 मु0न0 45 के किला न0 1 की 0.1260 हैक्ट कुल 1.3910 हैक्ट भूमि जिसके वादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

वादियान की रोही मौजा चक 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 113/113 की कुल 1.3910 हैक्ट भूमि के प0न0 298/432 मु0न0 44 के किला न0 1 ता 5 व प0न0 299/432 मु0न0 45 के किला न0 1 की भूमि वादियान के नाम दर्ज है तथा उक्त खातों में 2–2 बिस्वा गैर मुमकिन खाला दर्ज है लेकिन मौके पर अब कोई खाला नही है एवं नही खाले की आवश्यकता है क्योंकि सिचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अब अन्य जगह खाला स्वीकृत किया गया है इसलिए पुराने खाले की आवश्यकता नही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी प0न0 298/432 मु0न0 44 के किला न0 1/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 3/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 4/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 5/1 की 0.0510 हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज है को मुमकिन किया जाकर वादी के नाम दर्ज की जावे। यही बिनाय दवा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद [illegible] रिपोर्ट पेश की तथा प्रतिवादी संख्या 2 अधिशांषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा से रिपोर्ट प्राप्त की [illegible] शामिल मिसल किये गये।।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.02 13:07:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थना में नकल जमाबंदी रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 113/113 जमाबंदी सम्वत् 2077–2080, चित्रप्रति अधिशाषी अभियंता आरडब्ल्यूएसआर भादरा की रिपोर्ट, जल उपभोक्ता संगम बीके 15 की रिपोर्ट पेश की जो की शमिल मिसल की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादियान की रोही मौजा चक 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 113/113 की कुल 1.3910 हैक्ट भूमि के प0न0 298/432 मु0न0 44 के किला न0 1 ता 5 व प0न0 299/432 मु0न0 45 के किला न0 1 की भूमि वादियान के नाम दर्ज है तथा उक्त खातों में 2–2 बिस्वा गैर मुमकिन खाला दर्ज है लेकिन मौके पर अब कोई खाला नही है एवं नही खाले की आवश्यकता है क्योंकि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अब अन्य जगह खाला स्वीकृत किया गया है इसलिए पुराने खाले की आवश्यकता नही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी प0न0 298/432 मु0न0 44 के किला न0 1/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 3/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 4/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 5/1 की 0.0510 हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज है को मुमकिन किया जाकर वादी के नाम दर्ज की जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं राज्य हकों को ध्यान मे रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी का अवलोकन किया वाद में प्रस्तत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 113/113 के प0न0 298/4321 मु0न0 44 के किला न0 1/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 1/2 की 0.2280 हैक्ट, 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 2/2 की 0.2280 हैक्ट, 3/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 3/2 की 0.2280 हैक्ट, 4/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 4/2 की 0.2270 हैक्ट, 5/1 की 0.0510 हैक्ट गै0मु0 खाला, 5/2 की 0.2020 हैक्ट कुल किता 10 की 0.1520 हैक्ट गै0मु0 खाला, 1.1130 हैक्ट नहरी प0न0 299/432 मु0न0 45 के किला न0 1 की 0.1260 हैक्ट कुल 1.3910 हैक्ट भूमि जिसके वादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि में से प0न0 298/432 मु0न0 44 के किला न0 1/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 3/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 4/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 5/1 की 0.0510 हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज है। वादी का कथन है कि इन किलो में राजस्व रिकार्ड में खाला दर्ज है लेकिन मौके पर अब खाला नही है क्योंकि सिचिंत क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अन्य जगह पर नया खाला स्वीकृत किया गया है। उक्त किला न0 में से गै0मु0 खाला की भूमि को वादीगण अपने नाम मुमकिन/खातेदार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा के रिपोर्ट की चित्रप्रति के अनुसार रोही मौजा 4 बीकेके के प0न0 298/432 व 298/433 में कोई पक्के खाले का निर्माण नही किया जाना है स्वीकृत चक स्कीम के मुताबिक प0न0 297/430 व 297/434 में पक्के खाले का निर्माण किया जा[illegible] [illegible] द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उक्त किला न0 मे कोई खाला निर्मित नही है एवं नही [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.02 13:07:54 IST
Reason: SelfAttested

गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के [illegible] हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में [illegible]त प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवंश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेंगी जिसके खाते में यह कम की गई थी।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों के अवलोकन से पाया गया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा 4 बीकेके के प0न0 298/432 मु0न0 44 के किला न0 1/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 3/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 4/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 5/1 की 0.0510 हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज है लेकिन वर्तमान में जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाला स्वीकृत नही किया गया है तथा तहसीलदार नोहर के रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाले का निर्माण नही है अब सिंचाई विभाग द्वारा खाला अन्य जगह पर स्वीकृत किया जा चुका है इसलिए वादी की भूमि में से गै0मु0 खाला/रास्ता के लिए कम की गई भूमि को पुनः वादी अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा द्वारा भी रिपोर्ट प्रेषित कि गई की उक्त किलों में वर्तमान में कोई खाला नही है एवं नई चक स्कीम के अन्तर्गत भी उक्त किलों में खाता स्वीकृत भी नही है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग नोहर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 1131113 के प0न0 298/432 मु0न0 44 के किला न0 1/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 3/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 4/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 5/1 की 0.0510 हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज है को निरस्त किया जाकर वादीगण के नाम मुमकिन/खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/03/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.02 13:07:54 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 984/2024
अनवान : –

1. विध्या देवी पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. संतोष पांडिया पत्नी मनीराम जाति जाट ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा तहसील भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 984 सन 2024 निर्णय दिनांक 27/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 1131113 के प0न0 298/432 मु0न0 44 के किला न0 1/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 3/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 4/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 5/1 की 0.0510 हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज है को निरस्त किया जाकर वादीगण के नाम मुमकिन/खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.02 13:07:54 IST
Reason: SelfAttested